TRAI FURTHER EXTENDS NTO 2.0 DEADLINE

The Telecom Regulatory Authority of India has further extended the deadline for implementation of the new tariff order (NTO 2.0) to 28 February, 2023. Further, all broadcasters shall report any change in name, nature, language, MRP per month of channels, and composition and MRP of bouquets of channels by 30 November 2022, and simultaneously publish such information on their websites, the authority has said. All DPOs (distribution platform owners) shall report prices of pay channels and bouquets and composition of bouquets of pay and FTA (free-to-air) channels, by 31 December 2022.

Several representations have been received from stakeholders requesting for extension of time limit for implementation of New Regulatory Framework 2020, Trai said in a letter dated 1 September.

When NTO was first introduced and allowed consumers to choose a la carte channels, the cost of entertainment went up forcing Trai to amend its order. NTO 2.0 was announced in January 2020 which capped a bouquet channel price at ?12 instead of ?19. The Indian Broadcasting Digital Foundation (IBDF) a unified representative body of television broadcasters in India, had said this was not backed by any logical rationale or consumer insight.

After fighting it out with Trai in court, IBDF had withdrawn the petitions it had filed challenging the new tariff order (NTO) 2.0 this February.

K. Madhavan, chairman, CII national committee on media and entertainment and president, the Walt Disney Company India and Star India, recently said that the new team at Trai is inclined to address the concerns of the industry. "We hope to have a more proactive and positive approach from the regulator. There needs to be light-touch regulation, so as to not hold the industry back." reasoned K Madhavan.

TRAI is hoping to address the concerns and should bring about the required changes. ■

ट्राई ने एनटीओ 2.0 की समय सीमा को आगे बढ़ाया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने नये टैरिफ आदेश (एनटीओ **2.0**) को लागू करने की समय सीमा को **28** फरवरी **2023** तक बढ़ा दी है। इसके अलावा, सभी प्रसारकों को चैनलों का नाम, प्रकृति, भाषा, एमआरपी प्रति माह और संरचना में किसी भी बदलाव का रिपोर्ट करना होगा। प्राधिकरण ने कहा कि **30** नवंबर **2022** तक चैनलों के बुके की एमआरपी और साथ ही इस तरह की जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। सभी डीपीओ (वितरण प्लेटफॉर्म के मालिक)**31** दिसंबर **2022** तक पे चैनलों और बुके की कीमतों और पे व एफटीए (फ्री–टू–एयर)चैनलों के बुके की संरचना की रिपोर्ट करेंगे।

ट्राई ने **1** सितंबर को लिखे पत्र में कहा कि नये नियामक ढ़ांचे **2020** के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने वाले हितधारकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

जब एनटीओ को पहली बार पेश किया गया और उपभोक्ताओं को ए–लॉ–कार्टे चैनल चुनने की अनुमति दी गयी, तो मनोरंजन की लागत बढ़ गयी, जिससे ट्राई को अपने आदेश में संशोधन करना पड़ा। एन.टी.ओ **2.0** की घोषणा जनवरी **2020** में की गयी थी, जिसमें बुके चैनलों की कीमत **19**रुपये के बजाय **12**रुपये थी। भारत में टेलीविजन प्रसारकों की एकीकृत प्रतिनिधि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) ने कहा था कि यह किसी तार्किक तर्क या उपभोक्ता अंतर्दृष्टि से समर्थित नहीं है।

अदालत में ट्राई के साथ इसका मुकाबला करने के बाद आई बीडीएफ ने इस फरवरी नये टैरिफ आदेश (एनटीओ **2.0**) को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया था।

के. माधवन, अध्यक्ष, मीडिया और मनोरंजन पर सीसीआई की राष्ट्रीय समिति और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के अध्यक्ष ने हालही में कहा कि ट्राई की नयी टीम उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए ईच्छुक है।'हम नियामक से अधिक सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं। उद्योग को पीछे नहीं रखने के लिए लाइट टच रेगुलेशन की जरूरत है।' के माधवन ने तर्क दिया।

ट्राई चिंताओं को दूर करने की उम्मीद कर रहा है और इससे आवश्यक बदलाव लाने चाहिए। ■